सं.-11011/1/2021-रा.भा.

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(राजभाषा अनुभाग)

पीटीआई भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 06 जनवरी, 2023

कार्यालय आदेश

विषय: राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत अनुभागों को अपने अनुभाग का शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट करना।

राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने से संबंधित इस मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या-11011/1/2021-रा.भा. दिनांक 28 जुलाई, 2021 के क्रम में, जिसमें मंत्रालय के स्थापना अनुभाग और सी.आर. अनुभागों को शत-प्रतिशत मंत्रालयी कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया था। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति के निरीक्षण पर आश्वासनों की सूची (प्रति संलग्न) के अनुपालन में कुछ और अनुभागों को अपना संपूर्ण कामकाज हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाता है। पहले से विनिर्दिष्ट स्थापना और सी आर अनुभागों के अतिरिक्त अन्य अनुभाग निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	अनुभाग का नाम
01	रोकड़ अनुभाग
02	संसद अनुभाग

इसे सचिव (एमएसडीई) का अनुमोदन प्राप्त है।

सुपर्णा

(सुपर्णा एस. पचौरी)
संयुक्त सचिव (स्थापना, समन्वय एवं रा.भा.)

प्रति: 1. मंत्रालय के समस्त अधिकारी - आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. मंत्रालय के उपरोक्त सभी अनुभाग।
3. ई-गवर्नेंस/आईसीटी अनुभाग को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि: 1. माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री के निजी सचिव।
3. गार्ड फाइल।